Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 164/2025

श्री सुरेश कुमार,
निवासी– सी–03, टिहरी नगर,
अजबपुर कलाँ, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (रायपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 10.06.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding inflated billing by the Respondent ie UPCL. The Complainant submits and prays as under:-

"Myself suresh kumar resident C -3 tehri nagar ajabpur kalan dehradun. connection no..9771122560046. As I want to tell you. I have a solar system installed in my house.I did not receive any bill after July 2025. Suddenly I received the bill in feb. 2026.which was very high bill and felt unjustified."

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 213, दिनांकित 16/03/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि उपभोक्ता के विद्युत बीजक MRI के अनुसार वास्तविक उपभोग पर निर्गत किये जा रहे है। अतः विद्युत बीजकों में किसी प्रकार का संशोधन सम्भव नहीं है। उपभोक्ता के माह 03/2026 का विद्युत बीजक एवं MRI की प्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर से शिकायत का निस्तारण करने की कृपा करें।"*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 237 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवादी द्वारा मंच के समक्ष प्रस्तुत शिकायत में अवगत कराया गया कि उनके परिसर पर सोलर रूफटॉप प्रणाली स्थापित है। परिवादी का कथन है कि जुलाई 2025 के पश्चात् उन्हें नियमित विद्युत बिल प्राप्त नहीं हुए तथा फरवरी 2026 में एकमुश्त अत्यधिक राशि का विद्युत बिल जारी किया गया,जो कि उनके अनुसार न्यायसंगत नहीं है।

विपक्षी द्वारा अपने प्रतिउत्तर मे अवगत कराया गया कि परिवादी के परिसर पर स्थापित नेट मीटर/सोलर मीटर की प्राप्त एम0आर0आई0 के आधार पर वास्तविक विद्युत ऊर्जा का लेखाकन एव बिलिंग की गई है। विपक्षी के अनुसार जारी किया गया बिल मीटर में दर्ज वास्तविक खपत तथा प्रचलित नियमों के अनुरूप है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मीटरिंग आंकडों का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरांत यह तथ्य परिलक्षित होता है कि विद्युत ऊर्जा की गणना मीटर में दर्ज वास्तविक रीडिंग एवं उपलब्ध एम0आर0आई0 डेटा के आधार पर की गई है। मंच के समक्ष ऐसा कोई ठोस तकनीकि साक्ष्य परिवादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे मीटर की कार्यप्रणाली अथवा दर्ज खपत को त्रुटिपूर्ण सिद्ध किया जा सके।

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को विवादित बिल चक्र में वास्तविक खपत के ही आधार पर ही विद्युत बिल जारी किये गये है, जो नियामानुसार सहीं है, तथा इमनें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो

10-6-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

10/06/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

10/06/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०सि०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई-मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 175/2025

श्री शिशिर कुमार पुत्र श्री दिनेश कुमार, — परिवादी
निवासी–104/01, जनरल महादेव सिंह रोड,
नियर आई0एम0ए0, बल्लूपुर चौक, सत्य विहार,
कैलाशपुरी, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 10.06.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि मैं शिशिर कुमार पुत्र श्री दिनेश कुमार, निवासी–104/01, जनरल महादेव सिंह रोड, नियर आई0एम0ए0, बल्लूपुर चौक सत्य विहार, कैलाशपुरी, देहरादून। आपके संज्ञान में बिजली विभाग की अत्यंत गंभीर लापरवाही एवं उपभोक्ता उत्पीडन से संबंधित एक प्रकरण प्रस्तुत कर रहा हूँ।*

a) *मेरे नाम से बिजली कनेक्शन संख्या–42201106286 पंजीकृत है, जो सेंचुरियन डिफेंस अकादमी, बल्लूपुर चौक, देहरादून से संबंधित है।*

b) *अत्यंत चिंताजनक तथ्य यह है कि विगत लगभग एक वर्ष की अवधि तक बिजली विभाग द्वारा मेरे उपरोक्त कनेक्शन का कोई भी बिजली बिल जारी नहीं किया गया। इस संबंध में मैंने कई बार विभागीय अधिकारीयों एवं*

(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

कर्मचारियों से संपर्क कर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया, किन्तु विभाग की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी या समाधान उपलब्ध नहीं कराया गया।

c) इसके विपरीत अब अचानक लगभग एक वर्ष के पश्चात बिजली विभाग द्वारा रू० 11,81,816/– (ग्यारह लाख इक्यासी हजार आठ सौ सोलह रूपये) का एकमुश्त बिजली बिल जारी कर दिया गया है, जो अत्यंत आश्चार्यजनक एवं संदिग्ध प्रतीत होता है।

d) यदि विभाग द्वारा समय–समय पर नियमित रूप से बिजली बिल जारी किया जाता, तो मैं नियमानुसार उसका भुगतान करता रहता। किंतु लगभग एक वर्ष तक बिल जारी न करना स्पष्ट रूप से विभागीय कार्यप्रणाली में गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। अब एक साथ इतनी बडी राशि का बिल जारी किया जाना न केवल अनुचित है, बल्कि यह उपभोक्ता के लिए आर्थिक रूप से अत्यंत कठिन परिस्थिति उत्पन्न करता है।

e) मेरा यह भी कहना है कि उक्त परिसर में बिजली का उपयोग सामान्य रूप से ही किया गया है। अतः इतनी बडी राशि का बिल स्वाभाविक नहीं प्रतीत होता। इसके अतिरिक्त यह भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि विभाग के कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा इस बिल को तत्काल जमा कराने हेतु अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है, जिससे मुझे मानसिक रूप से अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड रहा है।

2. यह पूरा प्रकरण प्रथम दृश्य बिजली विभाग की लापरवाही, प्रशासनिक त्रुटि अथवा तकनीकी गडबडी की ओर संकेत करता है, जिसकी निष्पक्ष जांच कराया जाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके तथा भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

3. अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस मामले में निम्नलिखित कार्रवाई करने कि कृपा करें।

a) उक्त प्रकरण की निष्पक्ष एवं तकनीकी जांच सक्षम अधिकारियों से कराई जाए।

b) लगभग एक वर्ष तक बिजली बिल जारी न करने के लिए जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित कर उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए।

c) जांच पूर्ण होने तक मुझ पर उक्त बिल की राशि तत्काल जमा कराने के लिए किसी प्रकार का दबाव न बनाया जाए।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

d) वास्तविक बिजली खपत के आधार पर न्यायोचित एवं संशोधित बिजली बिल जारी किया जाए।

4.मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मंच इस मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हस्तक्षेप करेगा तथा एक उपभोक्ता के रूप में मुझे न्याय प्रदान करेगा।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 121, **दिनांकित 04/05/2026 से मंच को अवगत कराया है** *"कि उपभोक्ता श्री शिशिर कुमार, निवासी–104/01, जी0एम0एस0रोड, बल्लूपुर चौक, देहरादून द्वारा शिकायत की गई है कि उनका बिल एक वर्ष पश्चात् रू० 1181816/– का जारी किया गया है जो कि आश्चर्यजनक एवं संदिग्ध प्रतीत होता है। इतनी बड़ी राशि का बिल स्वाभाविक नहीं प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री शिशिर कुमार द्वारा पूर्व में 10 किलोवाट का संयोजन लिया गया था जिसको बढा कर 40 किलोवाट किये जाने हेतु उनके द्वारा आवेदन किया गया। तकनीकी कारणों से उक्त संयोजन 10 किलोवॉट नॉन के0सी0सी0 से 40 किलोवॉट के0सी0सी0 कन्यूमर में बदल नहीं पाया जिससे उनका बिल नहीं बन पाया। उक्त समस्या के समाधान के उपरान्त उपभोक्ता के मीटर में पाई गई रीडिंग के अनुसार विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण), देहरादून द्वारा उनका बिल बनाया गया जो कि सही है एवं उपभोक्ता का कथन कि बिल संदिग्ध प्रतीत होता है, गलत है। उपभोक्ता को इसकी जानकारी कई बार दी गई है। उपभोक्ता के द्वारा उक्त बिल में से दि0 14.03.2026 को रू० 2,00,000/– एवं दि0 16. 03.2026 को रू० 3,00,000/– जमा किया गया है। दिनांक 20.04.2026 को पिछली सुनवाई में मा0 मंच द्वारा उपभोक्ता के बचे हुए बिल की किश्तें करने एवं अगले बिल में विलम्ब शुल्क अधिभार नहीं लिये जाने को कहा था जिसके सन्दर्भ में अवगत कराना है कि उपभोक्ता को किश्तों में बिल जमा करने हेतु सूचित किये जाने पर भी उनके द्वारा लम्बित बिल नहीं जमा किया गया है। उपभोक्ता के बिल दि0 21.04.2026 में जुडा हुआ विलम्ब शुल्क अधिभार रू0 4,455/– उपभोक्ता के बिल में से सी0सी0बी0आर0 के माध्यम से घटाने हेतु खण्ड कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। मा0 मंच के सुलभ सन्दर्भ हेतु उपभोक्ता के बिल दि0 21.04.2026 एवं लेजर की प्रति संलग्न है।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का **अवलोकन** किया **गया।** परिवादी द्वारा मंच के सम्मुख प्रस्तुत **शिकायत** में यह निवेदन **किया गया है** कि विद्युत विभाग द्वारा लगभग एक **वर्ष** की अवधि तक नियमित विद्युत बिल जारी नहीं किए गए। तत्पश्चात् विभाग द्वारा एकमुश्त रूप से समस्त अवधि का विद्युत बिल जारी कर दिया गया,

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

जिसके फलस्वरूप अत्याधिक देय राशि उत्पन्न हो गई है। परिवादी का कथन है कि इतनी बड़ी राशि एकमुश्त भुगतान करना उसके लिए अत्यंत कठिन है तथा उसे किस्तों में भुगतान करने की अनुमति प्रदान की जाए।

विपक्षी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेखो से यह तथ्य स्पष्ट है कि संबंधित अवधि में नियमित रूप से विद्युत बिल जारी नहीं किए गए तथा बाद में उक्त अवधि का बिल एक साथ जारी किया गया। विपक्षी के कथनों से स्पष्ट है कि परिवादी के ओर से किसी भी प्रकार से जानबूझकर बिल भुगतान से बचने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, तो केवल विभागीय कारणों सें लंबी अवधि का बिल एक साथ जारी किए जाने का प्रतिकूल प्रभाव परिवादी पर नहीं डाला जा सकता।

मंच का मत है कि विद्युत ऊर्जा का उपभोग किए जाने पर उसका मूल्य देय होता है और परिवादी वैध विद्युत खपत के भुगतान से विमुक्त नहीं हो सकता। तथापि , जहां विभागीय कारणों से लंबी अवधि तक बिल जारी नहीं किए गए हों, वहां सपूर्ण राशि का एकमुश्त भुगतान करने हेतु परिवादी को बाध्य करना न्यासंगत नहीं माना जा सकता है।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों तथा उपभोक्ता संरक्षण की भावना के अनुरूप यह अपेक्षित है कि ऐसी स्थिति में परिवादी को उचित किस्त सुविधा प्रदान की जाए ताकि विभाग का राजस्व भी सुरक्षित रहे और परिवादी पर अनावश्यक आर्थिक बोझ भी न पड़े।

पत्रावली मे उपलब्ध लेजर के अनुसार परिवादी द्वारा विवादित राशि रू0 11,12,802.00 के सापेक्ष दिनांक 14.03.2026 एवं दिनांक 16.03.2026 को क्रमश रू0 2,00,000.00 एवं रू0 3,00,000.00 जमा कराये गये है। उक्त के क्रम में मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी से शेष राशि रू0 6,12,802.00 को तीन समान मासिक किस्तों में प्राप्त की जाए एवं परिवादी प्रथम किस्त का भुगतान आदेश प्राप्ती के 15 दिवस के भीतर करेगा तथा शेष किस्तों का भुगतान प्रत्येक आगामी बिलिंग चक्र के साथ करेगा। परिवादी नियमित चालू विद्युत बिलों का भुगतान नियत समय में करता रहेगा। किस्त राशि चालू बिल के अतिरिक्त देय होगी, यदि परिवादी एक भी किस्त का भुगतान करने में विफल रहता है, तो विपक्षी नियामानुसार शेष देय राशि की वसूली हेतु कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा। मंच द्वारा विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि परिवादी को विद्युत बिल ससमय निर्गत किया जाना विपक्षी का दायित्व है तथा

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढवाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

भविष्य मे ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति से बचने हेतु विपक्षी द्वारा आवश्यक प्रशासनियक सावधानी बर्तना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी से शेष राशि रू0 6,12,802.00 को तीन समान मासिक किस्तों में प्राप्त की जाए एवं परिवादी प्रथम किस्त का भुगतान आदेश प्राप्ती के 15 दिवस के भीतर करेगा तथा शेष किस्तों का भुगतान प्रत्येक आगामी बिलिंग चक्र के साथ करेगा। परिवादी नियमित चालू विद्युत बिलों का भुगतान नियत समय में करता रहेगा। किस्त राशि चालू बिल के अतिरिक्त देय होगी, यदि परिवादी एक भी किस्त का भुगतान करने में विफल रहता है, तो विपक्षी नियामानुसार शेष देय राशि की वसूली हेतु कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा। मंच द्वारा विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि परिवादी को विद्युत बिल ससमय निर्गत किया जाना विपक्षी का दायित्व है तथा भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति से बचने हेतु कार्यवाही करने के लिए स्वतत्र होगा। मंच द्वारा विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि परिवादी को विद्युत बिल ससमय निर्गत करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

10-6-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

10/06/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य
10/06/26

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001

Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून - 248001
दूरभाष: 0135-2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135-2763672-75 फैक्स-0135-2767395
ई-मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 183/2025

श्री निर्देश खण्डेवाल,
निवासी--बी0-03, फ्रेन्डस एन्क्लेव,
शाहनगर विधानसभा रोड, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (रायपुर
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 10.06.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है "*कि प्रार्थी का उपभोक्ता संख्या 9711126097428 निर्देश खण्डेवाल के नाम से है प्रार्थी का मीटर संख्या EP8432 था। जो कि जल गया था/फूंक गया था। जिस कारण 04.02.26 को मीटर संख्या 18152883 लगाया गया, जिसकी रीडिंग दिनांक 04.02.26 को लगाते वक्त 621 थी। यह कि मार्च माह में प्रार्थी को बिजली का बिल नंबर 395302603100000114 प्राप्त हुआ, जिसमें उपभोग यूनिट 320 दिया गया जबकि बिल प्राप्ती की तिथि को मीटर रीडिंग के अनुसार 786 थी, इस प्रकार 786-621=165 यूनिट का ही उपभोग हुआ था, परंतु बिल 320 यूनिट के हिसाब से दिया गया जो कि मात्र 165 यूनिट ही था इस प्रकार बिल 1855 का प्राप्त हुआ जो कि 10.01.2026 से 10.03.2026 की अवधि का था। यह बात भी गौर फरमाने योग्य है कि दिनांक 10.01.2026 को ही प्रार्थी द्वारा गूगल पेमेंट के माध्यम से रूपये 1397 का भुगतान किया था, इससे पूर्व 13 दिसम्बर 25 को 755 रूपये, 16 नवम्बर 2025 को 75/- दिनाक 13 अक्टूबर 2025 को 933/- रूपये का भुगतान किया गया था। कभी*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

भी इतना ऊचा व अधिक बिल नहीं आया इससे स्पष्ट है कि विद्युत विभाग द्वारा गलत बिल भेज दिया गया है जो कि अत्यधिक रकम का है, तथा जो कि मात्र 165 यूनिट का होना चाहिए था। अतः न्यायहित से प्रार्थना है कि प्रार्थी को उचित व सही बिल प्रदान किया जाये तथा मीटर मे खराबी को भी जाचा जाये क्योकि रीडिंग मात्र 165 ही थी। जो कि वास्तविक है प्रार्थना है कि इस मामले का उचित सज्ञान लिया जाकर बिल सुधार कर वास्तविक रकम का संशोधित बिल जारी करवाने की कृपा करें।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 290, दिनांकित 07/04/2026 से मंच को निम्नवत अवगत कराया है *"कि उपभोक्ता का बीजक दिनांक 10/01/2026 तक पुराने मीटर ML के आधार पर बना है एवं उपभोक्ता का पुराना मीटर दिनांक 04/02/2026 को बदला गया, अतः माह मार्च 2026 के बिल में 155 यूनिट IDF के आधार पर दिनांक 10/01/2026 से 04/02/2026 तक एवं दिनांक 04/02/2026 से दिनांक 10/03/2026 तक 165 यूनिट रीडिंग के आधार पर कुल 320 यूनिट का बना है, IDF के दिन की गणना एव History सलग्न है। अतः उपभोक्ता का बिल सही एव टैरिफ के आधार पर बना है, अतः परिवाद निस्तारण योग्य है।"*

पत्रावली पर उपलब्ध शिकायत में परिवादी द्वारा यह कथन कहा गया है कि उन्हें प्रेषित विद्युत बिल में 320 यूनिट की खपत अंकित की गई है, जबकि उनके अनुसार बिल प्राप्ती की तिथि को मीटर रीडिंग 786 थी तथा बिल की गणना त्रुटिपूर्ण है। इस आधार पर उनके विद्युत बिल को संशोधित किए जाने का अनुराध किया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 10.01.2026 तक पुराने मीटर के आधार पर बिलिंग की गई थी। दिनांक 04.02.2026 को परिवादी का विद्युत मीटर परिवर्तित किया गया। माह मार्च 2026 के बिल में 155 यूनिट की खपत आई0डी0एफ0 प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की गई। तत्पश्चात् दिनांक 10.01.2026 से 04.02.2026 तक की आई0डी0एफ0 अवधि हेतु 155 यूनिट तथा मीटर परिवर्तित किये जाने के उपरान्त दिनांक 04.02.2026 से अगली बिलिंग तिथि (10.03.2026) तक 165 यूनिट की खपत के आधार पर कुल 320 (155 + 165) यूनिट का समायोजित बिल तैयार किया गया।

मंच के समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि संबंधित अवधि में आई0डी0एफ0 बिलिंग की गणना परिवादी की पूर्व तीन माह (11/2025, 12/2025 एवं 01/2026) के तथा मीटर परिवर्तित किये जाने के उपरान्त वास्तविक

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई-मेल cgrfgz@gmail.com

रीडिंग के आधार पर की गई है। परिवादी द्वारा मंच के सम्मुख ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो सके कि विपक्षी द्वारा की गई विद्युत बिल गणना त्रुटिपूर्ण अथवा प्रचलित विनियमो के विपरीत है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखो, बिलिग विवरण तथा विपक्षी द्वारा प्रस्तुत गणना सीट के परीक्षण के उपरानत मंच का मत है कि संबंधित बिलिंग नियामानुसार एव परिवादी के पूर्व विद्युत खपत के आधार पर की गई है तथा इसमें किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः इस परिस्थिति मे परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त परिस्थियों उपरान्त प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

10-6-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

10/06/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

10/06/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 186/2025

श्री अमर सिंह,
निवासी–क्वानू रोड,
साहिया, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांकः 19.08.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत संयोजन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है "*कि मैं अमर सिंह, निवासी क्वानू रोड साहिया, आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूँ कि मेरे विद्युत कनेक्शन संख्या VN76215098391 / अकाउंट नं० 40118271671 से संबंधित लगभग 08 महीनों तक मुझे कोई बिजली बिल प्राप्त नहीं हुआ। इस अवधि के बाद, विद्युत विभाग द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना, एकमुश्त रू० 2,00,000 (दो लाख रूपये) का बिल जारी किया गया है, जो अस्वाभाविक और गलत है, क्योंकि मेरे उपभोग का पैटर्न कभी इतना अधिक नहीं रहा है। साथ ही, मैंने अपने परिसर मे सोलर पावर प्लांट भी स्थापित किया है, लेकिन इसके बावजूद विद्युत विभाग द्वारा सोलर प्लांट से संबंधित कोई जानकारी या संशोधित मीटर रीडिंग मुझे नहीं दी गई। मैंने कई बार विभागसे संपर्क कर इस बारे में जानकारी मांगी, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। अतः आपसे अनुरोध है कि मेरी शिकायत की त्वरित एवं निष्पक्ष जांच की जाए, और गलत बिल को संशोधित कर,*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर सही बिल जारी करने की कृपा करें ताकि मेरा पक्ष न्यायसंगत रूप से सुनवाई की जा सके। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूगा।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 2605, दिनांकित 10/04/2026 से मंच को निम्नवत् अवगत कराया है कि :–

1. *"उपभोक्ता के संयोजन सख्या VN76215098391 है, जिसका विद्युत भार–5.00 कि०वा० है।*
2. *उपभोक्ता के संयोजन पर सोलर रूपटॉप स्थापित है तथा उपभोक्ता को रीडिंग के आधार पर बीजक प्रेषित किया गया है।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी की शिकायत के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया कि परिवादी को सोलर रूफटॉप के सापेक्ष स्थापित नेट मीटर के द्वारा ही विद्युत बीजक प्रेषित किया गया है।

मंच द्वारा सुनवाई तिथि दिनांक 23.04.2026 को विपक्षी को निर्देशित किया गया था कि परिवादी के परिसर का स्थलीय निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट मंच के सम्मुख प्रस्तुत करें जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा सुनवाई तिथि 07.05.2026 को स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिससे स्पष्ट है कि परिवादी का विद्युत संयोजन घरेलू श्रेणी में स्वीकृत है एवं परिवादी द्वारा उक्त संयोजन का उपयोग वाणिज्यिक श्रेणी में किया जा रहा है जिसमें कुल लोड़ 12210 वाट पाया गया, जो की स्वीकृत विद्युत भार से दो गुना से भी अधिक है।

मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध एम0आर0आई0 और कंज्यूमर हिस्ट्री का भी अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को उत्पादित सोलर ऊर्जा का समायोजन करते हुए उनकी नेंट खपत के आधार पर ही विवादित विद्युत बिल जारी किया गया जो नियामानुसार सही है, तथा इमनें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

इस के अतिरिक्त धरेलू विद्युत संयोजन के अनधिकृत उपयोग के संबंध में विपक्षी विद्युत अधिनियम, 2003 तथा माननीय UERC के विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने हतु स्वतंत्र है।

आदेश

उपरोक्त परिस्थितियों उपरान्त उक्त वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, **बसंन्त** विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

19-6-2026	19/06/26	19/06
(सुन्दरी गैरोला देवली)	(दीपक फरस्वाण)	(रजनीश माथुर)
न्यायिक सदस्य	उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135-2763672-75 फैक्स-0135-2767395

E-Mail – cgrfgz@gmail.com
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 ONL 02/2026

श्री विक्रम साहनी — परिवादी
निवासी– यूनिट नं0–सी 04,
ब्लाक बी, दून बुलेवार्ड रेजीडेंस–2
भंडारी गाव देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 16.06.2026

श्री रजनीश माथुर	तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली	न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद गलत विद्युत बिल निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि " *बंद घर मे अनुचित रूप से विद्युत बिल निर्गत किये जाने के संबंध में ऑनलाइन शिकायत प्रेषित की जा रही है।*"

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 128 दिनांकित 18/04/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि " *सयोजन सख्या 7011111479620 (Mr. Vikram Sahni) के मापक सख्या*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V. Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun - 248001

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून - 248001

Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office . 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

GU535157 एम0आर0आई0की गयी एम0आर0आई0 रिपोर्ट के अनुसार उपभोक्ता का प्रतिमाह की खपत निम्नवत् थी।

क0 सं0	माह	मापक की वास्तविक रीडिंग	प्रति माह खपत
1	01.04.2026	650.10	–
2	01.03.2026	616.20	33.9
3	01.02.2026	583.00	33.2
4	01.01.2026	442.00	141
5	01.12.2025	398.40	43.6

आनलाईन पोर्टल के अनुसार उपभोक्ता का दिनाक 06.11.2025 से 27.01.2026 (82 दिवस) का विद्युत बिल शून्य यूनिट का निर्गत किया गया था, जोकि एम0आर0आई0 रिपोर्ट के अनुसार त्रुटिपूर्ण है मीटर रीडर द्वारा उक्त अवधि मे सही रीडिंग का बिल नहीं बनाये जाने के कारण उपभोक्ता को माह मार्च 2026 (27.01.2026 से 19.03.2026 तक) 251 यूनिट का विद्युत बीजक निर्गत किया गया है। उपभोक्ता के उक्त विद्युत बिल को संशोधित कर Per Month Long Slot का लाभ दिया गया है।"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच द्वारा पत्रावली में उपलब्ध एम0आर0आई0 रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिससे मंच के संज्ञान में आया कि दिनांक 01.03.2026 को रीडिंग 616.20 Kwh थी एवं मार्च 19.03.2026 को निर्गत विवादित विद्युत बिल भी 628 यूनिट तक की खप्त का बनाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को वास्तविक खपत के अनुसार ही बिल निर्गत किया गया है। एम0आर0आई0 और कन्ज्यूमर हिस्ट्री के अध्ययन् से भी स्पष्ट है कि परिवादी को प्रेषित विद्युत बिल उनकी वास्तविक खपत के आधार पर ही जारी किये गये है, जो नियामानुसार सही है, तथा इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं

किया जा सकता। इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

16-6-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

16/06/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763872–75 फैक्स–0135–2767395
ई-मेल cgrfgz@gmail.com

प्रकीर्ण परिवाद सं0 02/2026

श्रीमती रश्मि खत्री पत्नी श्री अमित खत्री — **परिवादी**
निवासी– शक्तिपुरम लेन–4 नहरवाली रोड
तुनवाला, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड (रायपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 01.06.2026

श्री रजनीश माथुर	**तकनीकी सदस्य**
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली	**न्यायिक सदस्य**
श्री दीपक फरस्वाण	**उपभोक्ता सदस्य**

निर्णय

प्रस्तुत प्रकीर्ण परिवाद परिवादी द्वारा परिवाद संख्या 70/2025 श्रीमती रश्मि खत्री पत्नी श्री अमित खत्री, निवासी– शक्तिपुरम लेन0 4, नहरवाली रोड, तुनवाला, देहरादून बनाम अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, (रायपुर) उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 देहरादून के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांकित 26.12.2025 का विपक्षी द्वारा अनुपालन न किये जाने के संबध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *" निवेदन है कि मेरा (रश्मि खत्री) विद्युत बिल (कनेक्शन सख्या 9721235665190 खता सख्या 41900186604) जुलाई माह 2025 से लगातार बढ़ कर आ रहा था। जिसके संबंध में मैने फोरम में शिकायत दर्ज करवायी थी। फोरम द्वारा परिवाद संख्या 70/2025 पर निर्णय लेते हुए 26.12.2025 को उत्तराखण्ड पावर*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

कारपोरेशन लिमिटेड देहरादून को उचित कार्यवाही के लिए निम्नः आदेशित किया गया था कि :– **"मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को बिल चक्र 09/2025 (दिनांक 29.09.2025) में प्रेषित बीजक को निरस्त कर उक्त बीजक को पूर्व के तीन बिल चक्रों की औसत खपत 276 (413+309+106 /3) यूनिट प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित करें, इस प्रकार संशोधित बीजक पर कोई सरचार्ज देय नहीं होगा।"** *लेकिन इस संबंध में अब तक विभाग की ओर से आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, जो फोरम के निर्णय की भी अवमानना है जिस पर उचित कार्यवाही अपेक्षित है। उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड देहरादून द्वारा संबंधी फोरम के निर्णय पर अब तक कार्यवाही न किये जाने से मेरे घर का विद्युत बिल काफी बढ़ गया है। अतः महोदय से निवेदन है कि अपने पूर्व के आदेश का अनुपालन कराते हुए प्रार्थीनी के बिल को संशोधित करने साथ ही जिन अधिकारियो ने मंच के आदेश की अवहेलना की है उन पर कार्यवाही करने की कृपा करें।"*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 604 दिनांकित 30/04/2026 से मंच को **आख्या से अवगत कराया है कि** *" उपभोक्ता रशमी खत्री, निवासी शक्तिपुरम, तुनवाला के वाद संख्या 124/2025 दिनांक 26.12.2025 के तहत माननीय उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के आदेशानुसार उपभोक्ता का विद्युत बिल को संशोधित कर दिया गया था। जिसमें उपभोक्ता को रूपये 6026.99 धनराशि का CCBR दिया गया जो कि इनके बिलिंग Ledger में भी प्रदर्शित हो रहा है। उसके उपरान्त उपभोक्ता का माह अप्रैल 2026 का बिल रूपये 9412 निर्गत हो चुका है। "*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 604 दिनांकित 30.04.2026 के द्वारा अवगत कराया गया कि इस मंच के

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763872–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आदेशानुसार उपभोक्ता का विद्युत बिल को संशोधित कर दिया गया था। जिसमें उपभोक्ता को रूपये 6026.99 धनराशि का CCBR दिया गया जो कि इनके बिलिंग Ledger में भी प्रदर्शित हो रहा है। उसके उपरान्त उपभोक्ता का माह अप्रैल 2026 का बिल रूपये 9412 निर्गत हो चुका है।

मच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा मंच के पूर्व आदेश दिनांकित 26.12.2026 का पूर्ण अनुपालन कर दिया गया है, इस परिस्थिति मे उक्त वाद को आगे चलाने का कोई औचित्य नही रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा मंच के पूर्व आदेश दिनांकित 26.12.2026 का पूर्ण अनुपालन कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। **उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

1-6-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

01/06/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

01/06/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 04/2026

श्री गणेश प्रसाद पुत्र स्व0 श्री नन्द किशोर मिश्रा, परिवादी
निवासी–ओम एन्क्लेव, नियर पैसिफिक स्कूल,
पित्थुवाला खुर्द, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम दिनांक: 19.06.2026

श्री रजनीश माथुर तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विगत कई माह से बिल न दिये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।
परिवादी का कथन है "*कि मेरे निवास स्थान ओम एन्क्लेव नियर पैसिफिक स्कूल, पित्थुवाला खुर्द देहरादून पर कनेक्शन संख्या SD15535636711 स्थापित था, जिसमें कि सोलर हीटर की रिबेट भी प्रत्येक माह बिल के साथ कम करके आती थी, जब माह जून 2025 के पश्चात् मुझे कोई बिल प्राप्त नहीं हुआ तो फिर मैं उपखण्ड कार्यालय में गया, जहां पूछताछ से मुझे ज्ञात हुआ कि बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा मेरे संयोजन से पुराने मीटर को हटाते हुए मेरे संयोजन पर स्मार्ट मीटर स्थापित कर दिया गया है एवं मुझे आश्वस्त किया गया कि जल्द ही आपका बिल आने लगेगा, फिर जब दो माह के इन्तजार के बाद भी मुझे कोई बिल प्राप्त नहीं हुआ तो मैं पुनः उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में गया। एवं अपनी समस्या से उपखण्ड अधिकारी एवं सम्बन्धित अवर अभियन्ता को भी अवगत कराया, जिसमें उनके द्वारा मुझे पुनः आश्वस्त किया गया कि जल्द ही आपका बिल आने लगेगा। फिर कुछ दिन पश्चात मेरे पडोसी श्रीमती सुमन कश्यप द्वारा मुझे अवगत कराया गया है कि मेरे कनेक्शन का बिल विद्युत विभाग द्वारा उनके नाम से दिया जा रहा है। जिसके पश्चात् मैं पुनः विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

से विनती कर रहा हूँ कि मेरे संयोजन का बिल ठीक करके मुझे उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि मैं अपना बिल जमा कर सकूँ, परन्तु अतिथि तक मुझे कोई बिल प्राप्त नहीं हुआ है। अतः महोदय से सादर निवेदन है कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को मेरे संयोजन पर स्थापित मीटर का बिल मय सोलर रिबेट के मुझे प्राप्त करवाए जाने हेतु आदेश पारित करने के साथ–साथ मेरे उपरोक्त वर्णित कनैक्शन को भी न काटे जाने के सम्बन्ध में आज्ञा पारित करने की महति कृपा करना चाहें, जिसके लिए प्रार्थी आपका आजीवन आभारी रहेगा।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 338, दिनांकित 15/04/2026 से मंच को **अवगत कराया है** *"कि उनका स्मार्ट मीटर पड़ोसी के आवास पर एवं पड़ोसी का स्मार्ट मीटर उनके आवास पर स्थापित किया गया है, जिसके कारण उनके बिलों को कई असंगतियाँ आ रही है एवं वे बिल जमा नहीं कर रहे है। इस सम्बन्ध मे इस कार्यालय से पत्रांक–336 दिनांक 13.04.2026 के माध्यम से मै० गढ़वाल स्मार्ट मीटर के प्रतिनिधि को सूचना प्रेषित कर दी है। इसी क्रम में क्षेत्रीय अवर अभियन्ता की आख्या भी संलग्न है।"*

विपक्षी द्वारा एक अन्य आख्या **पत्रांक संख्या 490, दिनांकित 25.05.2026 से मंच को अवगत कराया है** *"कि उनके द्वारा उपभोक्ता के विद्युत संयोजन सं०–SD1553563671 स्मार्ट मीटर अपडेट करा दिया गया है, एवं यथाशीघ्र ही उपभोक्ता को संशोधित बिल निर्गत करा दिया जायेगा।"*

विपक्षी द्वारा एक अन्य आख्या पत्रांक संख्या 553, दिनांकित 08.06.2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि दिनांक 08.06.2026 को उपभोक्ता का बिल संशोधित कर निर्गत कर दिया गया है।"*

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्य से मच को अवगत कराया है कि उक्त उपभोक्ता का विद्युत बिल दिनांक 08.06.2026 को संशोधित कर निर्गत कर दिया गया है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की विद्युत बिल संबंधी शिकायत का निवारण दिनांक 08.06.2026 को विद्युत बिल संशोधित कर कर दिया गया है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी* ***आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन,*** *80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Sd/-
19-6-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

Sd/- 19/06/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

Sd/- 19/06/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई-मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 ONL 06/2026

श्रीमती अंजू रतूडी — **परिवादी**
निवासी– शिव शक्ति एन्क्लेव
गुलरघाटी रोड, नथुवाला, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड (रायपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 16.06.2026

श्री रजनीश माथुर	तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली	न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विद्युत बिल निर्गत न किये जाने के संबंध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *''नये स्मार्ट मीटर लगने के बाद से बिल नहीं बनाया गया है, बार–बार शिकायत करने पर भी डिपार्टमेंट कोई कार्यवाही नहीं कर रहा । अंतिम बिल दिसबर 2025 में दिया गया था।''*

परिवादी द्वारा दिनांक 01.06.2026 को ई–मेल के माध्यम से अवगत कराया गया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा उनकी विद्युत बिल संबंधी शिकायत का निवारण विद्युत बिल संशोधित कर कर दिया गया है। वह अब उक्त शिकायत को आगे नहीं चलाना चाहती है। अतः शिकायत को निस्तारित करने की कृपा करें।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में ई–मेल दिनांकित 01.06.2026 से स्पष्ट है कि वह विपक्षी द्वारा शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप अपनी शिकायत को आगे नहीं चलाना चाहती है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की विद्युत बिल संबधी शिकायत का निवारण विद्युत बिल संशोधित कर कर दिये जाने एव परिवादी द्वारा भी ई–मेल के माध्यम से अपनी संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नही रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी ई–मेल के माध्यम से अपनी संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

16-6-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

16/06/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

16/06/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्ॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 14/2026

मौ0 शहजाद अली पुत्र मकसूद हसन — परिवादी
निवासी तेलीवाला, डोईवाला
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड (डोईवाला)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 16.06.2026

श्री रजनीश माथुर — **तकनीकी सदस्य**
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — **न्यायिक सदस्य**
श्री दीपक फरस्वाण — **उपभोक्ता सदस्य**

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद विद्युत संयोजन निर्गत न किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन निम्नलिखित बिन्दुवार है–:

1. " *यह कि प्रार्थी एक विधिवत किरायेदार है एव अनुसूचि में वर्णित सम्पत्ति में विधिवत रूप से अपना व्यवसाय सुहाना मेडिकल स्टोर संचालित कर रहा है।*
2. *यह कि मकान स्वामी ,द्वारा अवैध रूप से दुकान पर ताला लगाकर प्रार्थी को बेदखल करने का प्रयास किया गया, जिसके विरुद्ध प्रार्थी ने माननीय न्यायलय की शरण ली।*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

3. यह कि माननीय न्यायलय द्वारा प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 19.12.2023 की अस्थायी निषेधाज्ञा (Temporary Injunction) पारित करते हुए प्रार्थी को दुकान का कब्जा प्रदान किया गया है।

4. यह कि इसके उपरात मकान स्वामी ने प्रार्थी को परेशान करने के उदेश्य से दुकान की विद्युत आपूर्ति अवैध रूप से कटवा दी।

5. यह कि प्रार्थी द्वारा विद्युत आपूर्ति पुनः चालू कराने हेतु संबधित विद्युत कार्यालय में सपर्क किया गया, परंतु वहॉ के SDO द्वारा मकान स्वामी से NOC एवं सपत्ति के दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग की गई।

6 यह कि SDO द्वारा की गई उक्त मांग पूर्णतः अवैध, मनमानी एव विधि विरूद्ध है, क्योकि:

- प्रार्थी वैध कब्जाधारी/किरायेदार है,
- माननीय न्यायलय का आदेश प्रार्थी के कब्जे को मान्यता देता है;
- विद्युत अधिनियम, 2003 एवं प्रचलित विनियमों के अनुसार किरायेदार को स्वतंत्र रूप से विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने का अधिकार है, और इसके लिए मकान स्वामी की NOC आवश्यक नहीं है।

7. यह कि SDO का यह कृत्य प्रार्थी को अनावश्यक रूप से प्रताडित करने तथा उसके व्यवसाय को बाधित करने हेतु किया गया है, जिससे प्रार्थी को आर्थिक मानसिक क्षति हो रही है।

प्रार्थना:–

अतः माननीय मंच से निवेदन है कि–

क) संबंधित विद्युत विभाग के SDO को निर्देशित किया जाए कि प्रार्थी को बिना NOC एवं सपत्ति दस्तावेजो की मांग किए तत्काल विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जाए/आपूर्ति बहाल की जाए.

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

ख) प्रार्थी को हुए आर्थिक नुकसान एवं मानसिक उत्पीड़न हेतु उचित (Compensation) प्रदान की जाए;

ग) न्यायहित में अन्य कोई उचित आदेश पारित करने की कृपा करें।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 243 दिनांकित 08/05/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि " *इनके द्वारा नये विद्युत संयोजन हेतू दिनांक 05.05.2026 को आवेदन किया गया था। जिसकी आख्या बिन्दुवार निम्न प्रकार से है:-*

1. *"शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 05.05.2025 को नये संयोजन हेतु आवेदन किया गया जिसमें आवेदन द्वारा आवश्यक दस्तावेज नहीं लगाये गये, जिसमें की मकान मालिक की एन0ओ0सी0 जमीन की रजिस्ट्री इत्यादि उपलब्ध नहीं करायी गई।*
2. *श्रीमती संगीता चौहान भवन स्वामी निवासी आदर्श नगर जौलीग्राट द्वारा दिनांक 14.07.2026 को विभाग में लिखित आपत्ति दर्ज की गयी है कि उक्त विवाद मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।*
3. *पूर्व में उक्त प्रतिष्ठान पर जो विद्युत संयोजन चल रहा था, वो भवन स्वामी द्वारा हटाया जा चुका है।*
4. *शिकायतकर्ता को भवन स्वामी की एन0ओ0सी0 उपलब्ध करवाने हेतु कहा गया किन्तु आज दिनांक तक एन0ओ0सी0 उपलब्ध नहीं करायी गई।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि उनके द्वारा विपक्षी के कार्यालय में विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया गया था, परन्तु विपक्षी का कथन है कि श्रीमती संगीता चौहान भवन स्वामी निवासी आदर्श नगर जौलीग्रांट द्वारा दिनांक 14.07.2026 को विभाग मे लिखित आपत्ति दर्ज की गयी है कि उक्त विवाद मा0 न्यायालय में

विचाराधीन है। उक्त प्रतिष्ठान पर जो विद्युत संयोजन चल रहा था, वो भवन स्वामी द्वारा हटाया जा चुका है। शिकायतकर्ता को भवन स्वामी की एन0ओ0सी0 उपलब्ध करवाने हेतु कहा गया किन्तु आज दिनांक तक एन0ओ0सी0 उपलब्ध नहीं करायी गई।

परिवादी द्वारा सुनवाई के दौरना यह भी अवगत कराया गया कि वह वर्तमान मे उक्त दुकान मे कब्जेदार है एवं उनका उक्त दुकान के संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद विचारीधीन है।

यहा पर माननीय् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम **3.3.2(4)(a)(i)** के प्रथम परन्तुक का उल्लेख समीचीन होगा– **"Provided that in case the Applicant is unable to submit any of the document listed at a)to e) above, then the Applicant shall be charged thrice the amount of security as per Table 3.6 of Clause (11) of Sub-regulation 3.3.3. The owner of the premises, if different from the applicant, shall not be liable for payment of any dues against such connection."**

अतः उपरोक्त परिस्थितियों उपरान्त मंच का मत है कि विपक्षी विद्युत अधिनियम् 2003 की धारा 43(1) के अन्तर्गत परिवादी को विद्युत संयोजन निर्गत करें। बिजली पाना परिवादी का मौलिक अधिकार है। विपक्षी द्वारा माननीय् **UERC** के **Supply Code 2020** के विनियम् **3.3.2(4)(a)(i)** के प्रथम परन्तुक के अनुसार परिवादी के आवेदन पर कार्यवाही किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम् **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम् **3.3.2(4)(a)(i)** के प्रथम परन्तुक– **"Provided that in case the Applicant is unable to submit any of the document listed at a)to e) above, then the Applicant shall be charged thrice the amount of security as per Table 3.6 of Clause (11) of Sub-regulation 3.3.3. The owner of the premises, if different from the applicant, shall not be liable for payment of any dues against such connection."** के तहत् विद्युत संयोजन जारी करे। विपक्षी आदेश की अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच मे प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद वय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

16-6-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

16/06/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

16/06/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 15/2026

श्री मयंक गुप्ता,
निवासी–59–37, पटेल नगर,
सहारनपुर रोड, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांक: 11.06.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल सशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि मयंक गुप्ता पुत्र श्री आलोक कुमार गुप्ता, निवासी– 59–39, पटेल नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून मेरा बिजली कनैक्शन संख्या SD75211106343 है, महोदय मेरा बिजली का बिल नवंबर–दिसंबर का बिल 2700/– रूपये आया था। जिसका हमने भुगतान दिनांक–28.01.2026 रसीद सख्या–42501467191 को कर दिया था। तब भी हमे लगा था बिल ज्यादा है परन्तु हमने अगले महीने के बिल का इंतजार करना उचित समझा हमारा अगले महीने का बिल जनवरी 2026 का 6,935/– रूपये यूनिट 875 आया। जो कि एक घरेलू उपयोग के हिसाब से सामान्य से बहुत अधिक है। उसके बाद हमने इसकी शिकायत की तथा Check Meter लगाया गया। उसके पश्चात फरवरी 26 को हमारा बिल मात्र 1743.40/– आया तथा 241 यूनिट का उपयोग हुए। उसके पश्चात् हमारा मार्च 2026 का बिल मात्र 1099.60/– रूपये आया तथा मात्र 120 यूनिट का उपयोग हुए।*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun –248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई-मेल cgrfgz@gmail.com

महोदय मेरा निवेदन है कि सब तथ्यों को ध्यान मे रखते हुए कृपया नवबर–दिसंबर 2025 तथा जनवरी 2026 का बडा हुए बिल को जाँच कर उसे सही करने की कृपा करें।"

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड **अधिकारी ने आख्या पत्रांक 676, दिनांकित** 28/04/2026 से मंच को निम्नवत् **अवगत** कराया है कि–

1- "SD75211106343 का विद्युत सयोजन श्री मयंक गुप्ता पुत्र श्री आलोक कुमार गुप्ता, निवासी–59/37 पटेल नगर, देहरादून के नाम पर है।

2- उक्त संयोजन दिनांक 19.11.2025 को निर्गत हुआ है, जिसका विद्युत भार 5 कि०वा० है।

3- उपभोक्ता के परिसर पर मीटर संख्या 5718771 स्थापित है, जो कि स्मार्ट मीटर है।

4- उपभोक्ता का प्रथम बिल दिनांक 08.01.2026 को 406 यूनिट का निर्गत किया गया था।

5- उपभोक्ता की रीडिंग हिस्ट्री संलग्न है।"

विपक्षी द्वारा एक अन्य आख्या पत्रांक संख्या 687, दिनांकित 08.05.2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि श्री मयंक गुप्ता पुत्र श्री आलोक कुमार गुप्ता के विद्युत मीटर की एम०आर०आई० करने हेतु निर्देशित किया गया था, के अनुपालन में संयोजन संख्या SD75211106343 के विद्युत मीटर संख्या 5718771 की एम०आर०आई० की रिर्पोट संलग्न कर मा० मंच को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच द्वारा पत्रावली पर मे उपलब्ध एम0आर0आई0 रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिससे मंच के संज्ञान में आया कि दिनांक 01.01.2026 को रीडिंग 406.37 Kwh एवं दिनांक 01.02.2026 को 1281.54 Kwh है तथा कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री में क्रमशः दिनांक 08.01.2026 को रीडिंग 406 Kwh, दिनांक 03.02.2026 को रीडिंग 1281 Kwh अंकित की गई है, जिस से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को वास्तविक रीडिंग के अनुसार ही बिल निर्गत किये जा रहे थे। एम0आर0आई0 और कंज्यूमर हिस्ट्री के अध्ध्यन् से एवं यह कि परिवादी का मीटर भी सही है, मच का मानना है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को उनकी वास्तविक खपत के ही आधार पर ही विद्युत बिल जारी किये गये है, जो नियामानुसार सही है, तथा इमनें किसी भी

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

11-6-2026	11/06/26	11/06/26
(सुन्दरी गैरोला देवली)	(दीपक फरस्वाण)	(रजनीश माथुर)
न्यायिक सदस्य	उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail -- cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फ
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 18/2026

कर्नल एस०एस० चौधरी, — परिवादी
निवासी-- ओ०–402, ए.डब्लू.एच.ओ.,
धुलकोट, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 15.06.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding inflated amount of electricity bill generated by the respondent ie UPCL.

The Complainant submits and prays as under:-

1- *"I , Col S S Chaudhari own a flat O-402, AWHO Gajendra Vihar near Tula Engineering College. It was bought in june 2026.*
2- *There are no light points or fan or geyser or any other electrical appliance in the house. No one has ever lived in that house. This can be confirmed from a physical visit to the house.*
3- *Every month I have been paying approximately Rs. 500/- (plus minus 30-40 rupees). I presumed that this was monthly standard charges.*
4- *Electricity bill for February has come to Rs. 3787/- (Rupees Three Thousand Seven Hundred Eighty Seven Only).*
5- *Last Six month bills/reading details are as under:-*

Month	*Reading Date*	*Previous Reading*	*Present Reading*	*Total Days*	*Amount*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र),
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

Aug 2025	20 Sep 25	415	415	27	506.00
Sep 2025	15 Oct 25	415	415	25	500.00
Oct 2025	11 Nov 25	415	415	27	506.00
Nov 2025	15 Dec 25	415	415	34	492.00
Dec 2025	16 Jan 26	415	415	33	493.00
Jan 2026	15 Fed 26	415	415	32	3787.00

6- *This is not understood for a house where there is no electrical point. You ar requested to order a site inspection by your technical team and resolve the issue.*

7- *We have already filed a complaint regarding this is Ganeshpur Sub-Divisional Office on 07 March 2026. Copy Attached*

8- *I have also spoken to the SDO Sh. Neeraj Aggarwal CB_DEP IBANK DRDN in this regard.*

9- *Sir, You are requested to do the needful at your earliest so that I can start repaying my electricity bills regularly as a disciplined, law abiding citizen."*

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 75, दिनांकित 15/05/2026 से मंच को अवगत कराया है कि–

1. *"उपभोक्ता द्वारा नया विद्युत संयोजन माह जुलाई 2023 में लिया गया था, परन्तु संयोजन निर्गत होने की तिथि से आजतक लगातार विद्युत का उपयोग नहीं किया गया है। तथा विद्युत का उपभोग ना होने के कारण उपभोक्त द्वारा निरन्तर केवल फिक्स चार्ज का ही भुगतान समय समय पर किया जा रहा था।*

2. *यह कि लम्बे समय से विद्युत उपयोग ना होने के कारण मापक पूर्ववर्ती रीडिंग 415 KWH पर स्थिर था और अचानक मापक में Display दिखाई देनी बन्द हो गई. अर्थात मापक (NO Display) हो गया जिसके कारण मा० URC द्वारा पारित अधिनियम के आधार पर मीटर रीडर द्वारा मापक में रीडिंग प्रदर्शित ना होने पर (IDF) के आधार पर विद्युत बिल निर्गत कर दिया गया एव 100 Unit/कि०वा०/माह मानकीय औसत (Normative Unit) के आधार पर उपभोक्ता के स्वीकृत भार 5 कि०वा० के सापेक्ष एक माह का विद्युत बिल 500 यूनिट का निर्गत हो गया जिस कारण उपभोक्ता का विद्युत बिल अधिक आया है।"*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम मे विपक्षी ने अपनी आख्या पत्राक संख्या 7174 दिनांकित 06.06.2026 के माध्य से मंच को अवगत कराया है कि उपभोक्ता के त्रुटिपूर्ण विद्युत बिल को मैनुअली संशोधित कर दिया गया है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की विद्युत बिल सबंधी शिकायत का समाधान विद्युत बिल सशोधित कर मूल शिकायत का निवारण कर दिये जाने के फलस्वरूप उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

15-6-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

15/06/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

15/06/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 24/2026

मौ० इकरामूदीन, — परिवादी
निवासी–आर०के०पूरम०,
पो०ओ०–डालनवाला, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 15.06.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल सशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है। परिवादी का कथन है *"कि मेरे घर पर वर्तमान में विद्युत कनैक्शन नम्बर 7021318098158 लगा है जिस पर अचानक अप्रैल माह मे विद्युत विभाग द्वारा कुल रूपये 86622.00 का बिल भेजा गया है। जबकि पूर्व में मुझे 200 यूनिट के विद्युत बिल लगातार दिये जा रहे है। अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे विद्युत बिलों को ठीक करने की कृपा करे। तथा विद्युत विभाग द्वारा जो लगातार गलत बिल दिये जा रहे थे। उन्हें माफ करने की कृपा करें।"* **उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 75, दिनांकित 15/05/2026 से मंच को अवगत कराया है** *"कि उपभोक्ता का मीटर परिसर के अन्दर लगा हुआ है जिसके कारण उपभोक्ता के विद्युत बिल दिनांक 24.12.2022 से लगातार NA के विद्युत बिल जारी किये गये। दिनांक 24.04.2024 को उपभोक्ता के मीटर में रीडिंग 42652 पायी गयी। उक्त रीडिंग के आधार पर उपभोक्ता का माह 4/2026 विद्युत बिल बनाया गया।"*

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 24.12.2022 से 01.07.2025 अर्थात् 13 बिलों में NA के आधार पर एवं दिनांक 21.04. 2026 को एकमुस्त 16917 यूनिट का MU के आधार पर रू0 86622.00 का विद्युत बिल जारी किया गया, जिस पर परिवादी को आपत्ति है।

यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम 5.2.1(7) बिलिंग हेतु स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

5.2.1(7) "Provisional billing (NA/NR/IDF/ADF/RDF billing based on average consumption) shall not be for more than two billing cycle. In case meter is rendered inaccessible for two consuctive billing cycle, action as per Clause (7) of Sub-Regulation 5.1.2 shall be enforced" उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में मान्नीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलघन किया गया है, जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है। अतः इस परिस्थिति परिवादी को दिनांक 24.12.2022 से 21.04.2026 अर्थात् 14 बिलों में प्रेषित NA एवं MU बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष 12 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा परिवादी को दिनांक 24.12.2022 से 21.04.2026 अर्थात् 14 बिलों में प्रेषित NA एवं MU बिलो में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष 12 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिये जाने के आधार पर ही बिल संशोधित करे। मंच द्वारा विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि परिवादी के परिसर पर स्मार्ट मीटर स्थापित किया जाना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में पुनः NA संबंधि शिकायत उत्पन्न न हो सके। विपक्षी आदेश की अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

15-6-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

15/06/2026
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

15/06/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 30 / 2026

श्रीमती पुष्पा भट्ट, — **परिवादी**
निवासी–ग्राम व पो0ऑ0 बंजारावाला
नजदीक पंचायत भवन, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 18.06.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding Non-Generation of Electricity Bills.
The Complainant submits and prays as under:-

"I am writing on behalf of Smt. Pushpa Bhatt, wife of Shri Keshari Prasad Bhatt, resident of Banjarawala, Dehradun, to bring an important issue to your attention. Despite repeated requests made through the toll-free helpline and multiple personal visits to the SDO office (ISBT, Dehradun), our electricity bill has not been generated since August 2025. Furthermore, a smart meter was installed at the premises in December 2025; however, no bill or payment receipt has been issued to us to date. For your reference, we have attached copies of the previous electricity bill, a photograph of the installed meter, and the applications that were submitted multiple times to the SDO office. We kindly request you to look into this matter on an urgent basis and take the necessary action. As responsible citizens, we are concerned that continued delay may result in the accumulation of a substantial bill amount, which may become difficult for us to pay at once. We would greatly appreciate your prompt assistance in resolving this issue."

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 435, दिनांकित 07/05/2026 **से मंच को अवगत कराया है** *"कि पत्रांक–295 दिनांक 31.03.2026 के माध्यम से उनके संयोजन– SD15705159141 एवं अन्यों के स्मार्ट मीटर के बिल वितरण हेतु प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 गढवाल स्मार्ट मीटरिंग प्रा0लि0 को पूर्व में ही सूचित किया गया है, परन्तु वर्तमान तक भी कई संयोजनों के स्मार्ट मीटर अपडेट नहीं हुए है, जिसके कारण इस प्रकार की समस्या आ रही है।"*

विपक्षी द्वारा एक अन्य आख्या पत्रांक संख्या 489, दिनांकित **25.05.2026 से मंच को** निम्नवत् **अवगत कराया है** *"कि उपखण्ड कार्यालय के पत्रांक–295 दिनांक 31.03.2026 के माध्यम से शिकायतकर्ता के संयोजन– SD15705159141 का स्मार्ट मीटर का बिल अपडेट एवं निर्गत करने हेतु मै0 गढवाल स्मार्ट मीटर को सूचित किया गया था, जिसके क्रम में उनके द्वारा उपभोक्ता का स्मार्ट मीटर अपडेट कर विद्युत बिल निर्गत कर दिया गया है।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में मंच को अवगत कराया है कि उपभोक्ता का स्मार्ट मीटर अपडेट कर विद्युत बिल निर्गत कर दिया गया है।

उपरोक्त के क्रम में मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

18-6-2026	18/06/26	18/06/26
(सुन्दरी गैरोला देवली)	(दीपक फरस्वाण)	(रजनीश माथुर)
न्यायिक सदस्य	उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 49 / 2026

श्री कबीर सिंह — परिवादी
निवासी– ई–502, मैक्सवेल रेजीडेंसी,
सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (रायपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 19.06.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — **उपभोक्ता सदस्य**

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अवैध रूप से विद्युत संयोजन को विच्छेदित करने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि *" मैं आपको बुनियादी अधिकारों के घोर उल्लंधन की ओर ध्यान दिलाने के लिए लिख रहा हूं। मे ई–502 मैक्सवेल रेजिडेंसी, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून स्थित संपत्ति में किराएदार के रूप में रहता हूँ। उपरोक्त परिसर का बिजली कनेक्शन मकान मालिक श्रीमती सुधा नेगी के नाम पर पंजीकृत है। मैं*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

जून 2019 से वैध किरायेदारी समझौते के तहत इस संपत्ति में रह रहा हूँ। हाल ही में, पिछले सात वर्षों से संपत्ति के वार्षिक रखरखाव व मरम्मत के बकाया भुगतान से मकान मालिक द्वारा इनकार किये जाने के कारण एक निजी दीवानी विवाद के चलते मकान मालिक सुधा नेगी और उनके बेटे सौरभ नेगी ने अवैध और मनमानी हथकंडे अपनाए हैं। उन्होंने हाल में मुझे जान से मारने और मेरी संपत्ति को हड़पने की धमकी दी है और 13 मई 2026 को लगभग दोपहर 1:15 बजे, मकान मालिक ने जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण ढंग से मेरे कैंप कार्यालय, ई–502 मैक्सवेल रेजीडेंसी, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून की बिजली कटवा दी। कृपया निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान दें:–

1. आवश्यक सेवा– बिजली एक मौलिक अधिकार और कानून के तहत एक आवश्यक सुविधा है। बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के किरायेदार को जबरन निकालने के लिए बिजली काटना अवैध उत्पीड़न है।
2. वैध कब्जेधार का दर्जा– विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 43 के तहत, किसी भी परिसर के वैध कब्जेदार को बिजली आपूर्ति प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार है। माननीय न्यायालयों ने बार–बार यह माना है कि भले ही पट्टा समाप्त हो गया हो, कब्जे में रहने वाले किरायेदार को बिजली और पानी जैसी आवश्यक सेवाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है।
3. गंभीर कठिनाई– बिजली की अचानक कमी से अत्याधिक परेशानी हो रही है, जिससे दैनिक जीवन, खाद्य संरक्षण और जल सग्रहण प्रभावित हो रहा है। मै अपने कर्तव्यों का निवर्हन करने में असमर्थ हूँ और उत्तराखण्ड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग में अपने आवश्यक कार्य में बाधा का सामना कर रहा हूँ।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई मेल cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग यूईआरसी संहिता का विनियम 3.3.2 के दिशा निर्देशों के अनुसार, मैं कब्जेदार के रूप में अपनी क्षमता के अनुसार आपूर्ति की निरतरता सुनिश्चित करने के लिए किसी भी वैध वर्तमान खपत के बकाया का भुगतान करने या आवश्यक सुरक्षा राशि जमा करने के लिए तैयार और इच्छुक हूं।

अतः मै आपके कार्यालय से विनम्र करता हूँ कि:–

1. *संबधित फील्ड स्टाफ को तत्काल साइट का निरीक्षण करने और ई 502 मैक्सवेल रजिडेंसी सहस्त्रधारा रोड़ पर बिजली आपूर्ति बहाल करने का निर्देश दें।*
2. *पंजीकृत उपभोक्ता सुधा नेगी और उनके पुत्र सौरभ नेगी (मकान मालिक) को आवश्यक बिजली लाइनों से छेड़छाड़ न करने की चेतावनी दें।*
3. *मुझे यूईआरसी संहिता का विनियमन 3.3.2 के मौजमदा नियमों के तहत एक किरायेदार के रूप में तत्काल एक अस्थायी या स्वतंत्र सीधा कनेक्शन प्रदान करें ताकि आगे की परेशानी से बचा जा सके।*

मैंने आपके संदर्भ और मीटर की पहचान के लिए अपने किराये के समझौते और पिछले बिजली बिल की एक प्रति संलग्न की है। इस मामले में आपकी त्वरित और तत्काल कार्यवाही की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 911 दिनांकित 03/06/2026 से मंच को अवगत कराया गया है कि " *परिवाद संख्या 49/2026 श्री कबीर सिंह, ई0–502, मैक्सवेल रेजीडेंस, देहरादून बनाम उपाकालि आपके समक्ष योजित है अन्तिम सुनवाई में दिये गये निर्देश के अनुपालन में निरीक्षण आख्या*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

तथा सोसाइटी द्वारा भवन संख्या ई0–502 मैक्सवेल रेजीडेंसी, देहरादून के सम्बन्ध में निर्गत स्वामित्व/कब्जे का प्रमाण पत्र संलग्न कर वाद के सम्बन्ध में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।"

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि कि परिवादी की मूल शिकायत है कि उनके द्वारा ई0– 502, मैक्सवेल रेजीडेंसी, देहरादून पर विद्युत संयोजन प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया था, किन्तु विपक्षी द्वारा उसे विद्युत संयोजन प्रदान नहीं किया गया।

मंच द्वारा सुनवाई के दौरान यह आवश्यक समझा गया कि संबंधित भवन के स्वामी को तृतीय पक्ष के रूप में पक्षकार बनाया जाए तथा वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने हेतु विपक्षी को स्थल निरीक्षण कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

विपक्षी द्वारा मंच के निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 08.06.2026को निरीक्षण आख्या में अवगत कराया गया कि निरीक्षण की तिथि पर संबंधित परिसर में परिवादी श्री कबीर सिंह का कोई कब्जा अथवा निवास नहीं पाया गया। वर्तमान में उक्त परिसर पर भवन स्वामी स्वंय कब्जाधारी है। निरीक्षण के दौरान परिवादी का परिसर से कोई प्रत्यक्ष संबंध अथवा उपयोग स्थापित नहीं हो सका।

मच ने परिवादी, तृतीय पक्ष एवं विपक्षी के अभिलेखों तथा प्रस्तुत तथ्यों का परीक्षण किया। पत्रावली के परीक्षण उपरान्त मंच का मत है कि विद्युत संयोजन प्रदान किए जाने से संबंधित अधिकार का परीक्षण उसी व्यक्ति के सबंध में किया जा सकता है जिसका संबंधित परिसर पर वर्तमान में वैध कब्जा अथवा उपयोग सिद्ध हो। जब

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई-मेल cgrfgz@gmail.com

निरीक्षण आख्या से यह तथ्य स्थापित हो गया कि परिवादी वर्तमान में उक्त परिसर का कब्जाधारी नहीं है तथा भवन स्वामी स्वयं परिसर पर काबिज है, इस परिस्थिति में परिवादी द्वारा किरायेदार के अधिकार से विद्युत संयोजन की मॉग पर विचार किए जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वर्तनान परिस्थितियों उपरान्त उक्त शिकायत बलहीन होने के कारण खारिज होने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त परिस्थियों उपरात उक्त वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर** सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

19-6-2026	19/06/26	19/06/26
(सुन्दरी गैरोला देवली)	(दीपक फरस्वाण)	(रजनीश माथुर)
न्यायिक सदस्य	उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

परिवाद सं0 41/2026

श्रीमती शशि, — परिवादी
निवासी–विष्णुपुरम लेन नं0–01,
गली नं0–08, मोथरोवाला, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 17.06.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विगत कई माह से बिल न दिये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि मेरा विद्युत संयोजन संख्या–SD15731171271 श्रीमती शशि के नाम से विष्णुपुरम लेन नं0–01, गली नं0–08, मोथरोवाला देहरादून में स्थापित है। वर्ष 2017 में मेरे द्वारा 02 किलोवाट भार का विद्युत संयोजन लिया गया था तथा नियमित रूप से मेरा विद्युत बिल लगभग रू0 1000 से रू0 1500 तक आता था। किन्तु विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जाने के उपरान्त मेरे विद्युत बिल में अत्यधिक वृद्धि हो गई है तथा वर्तमान में बिल पूर्व की अपेक्षा दो से तीन गुना अधिक आ रहा है। इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा 3 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप प्लांट भी स्थापित किया गया है, जिसके बाद बिल कम आने के बजाय और अधिक आने लगा है। सोलर प्लांट स्थापित होने के बाद प्राप्त प्रथम बिल रू०2919 तथा द्वितीय बिल रू० 4083 का प्राप्त हुआ है, जो मेरी वास्तविक विद्युत खपत से कई गुना अधिक है। साथ ही विभाग द्वारा बिना मेरी सहमति एवं आवेदन के मेरे संयोजन का भार 2 किलोवाट से बढाकर 4 किलोवाट कर दिया गया है, जिससे अतिरिक्त शुल्क भी लगाया जा रहा*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

है। महोदय सोलर प्लांट द्वारा उत्पादित विद्युत ऊर्जा का समुचित समायोजन (Adjustment/Net Metering Benefit) भी मेरे बिल में नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण मूझे आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है। अतः आपसे निवेदन है कि मेरे विद्युत बिल की जॉच कर गलत बिलों को संशोधित किया जाए। बिना अनुमति बढाए गए भार को पुनः 2 किलोवाट किया जाए। सोलर रूफटॉप से उत्पादित विद्युत यूनिटों का मेरी वास्ताविक खपत में समायोजन किया जाए। स्मार्ट मीटर एवं मीटर रीडिंग की तकनीकी जॉच कर सही रीडिंग के आधार पर संशोधित बिल जारी किया जाए। जाँच पूर्ण होने तक विवादित अतिरिक्त धनराशि की वसूली पर रोक लगाई जाए।"

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 491, दिनांकित 25/05/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि जब से उनके संयोजन–SD15731171271 पर स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया है, तब से बिल अधिक आ रहा है एवं सोलर रूफ टॉप संयोजन लगने के बाद ही बिल पहले से अधिक आने लगा है। इस सम्बन्ध में प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 गढवाल स्मार्ट मीटरिंग प्रा0लि0 को उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित स्मार्ट मीटर की जाँच करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–462 दिनांक 14.05.2026 के द्वारा निर्देशित किया गया। उनके द्वारा मीटर की जाँच कर अवगत कराया कि उपभोक्ता के स्मार्ट मीटर में Export reading show नहीं होने के कारण बिल अधिक आ गया जो वर्तमान में ठीक करा दिया गया है। एवं आगामी बिल दिनांक 07.06.2026 में बिल संशोधित कर उपभोक्ता को उपलब्ध करा दिया जाएगा।"*

विपक्षी द्वारा एक अन्य आख्या पत्रांक संख्या 554, दिनांकित 08.06.2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि उपभोक्ता को दिनांक 07.06.2026 को संशोधित बिल उपलब्ध करा दिया गया है।"*

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त के सन्दर्भ मे मंच द्वारा विपक्षी द्वारा प्रस्तुत विद्युत बिल का अवलोकन किया गया जिससे मंच के संज्ञान में आया कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 07.06.2026 को संशोधित विद्युत बिल निर्गत कर दिया गया है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की विद्युत बिल संबंधी शिकायत का निवारण विद्युत बिल संशोधित कर, कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी* ***आदेश प्राप्ति के*** *30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80,* ***बसंन्त*** *विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

17-6-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

17/06/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

17/06/26
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 50/2026

श्री मोनू सिंह पुत्र श्री ओमवीर सिंह, — परिवादी
निवासी–वार्ड नं०–35, दीपनगर,
अजबपूर कलां, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 15.06.2026

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्रीमती सुन्दरी गैरोला देवली — न्यायिक सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत संयोजन निर्गत न किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है *"कि प्रार्थी के द्वारा नया विद्युत सयोजन लेने के लिए उपखण्ड अधिकारी, आराघर के कार्यालय में नये विद्युत संयोजन लेने सम्बन्धी सभी दस्तावेज कई बार जमा कराने हेतु आग्रह किया गया है परन्तु वर्तमान तिथी तक भी प्रार्थी के दस्तावेजों को जमा नहीं किया गया है जिस कारण प्रार्थी बिना बिजली के रह रहा है। प्रार्थी आपको यह भी अवगत कराना चाहता है कि प्रार्थी के निवास स्थान पर प्रत्येक घर में बिजली का संयोजन स्थापित है। प्रार्थी उक्त निवास स्थान पर कई वर्षों से रह रहा है। अतः आपसे सविनय निवेदन है कि प्रार्थी को नया विद्युत संयोजन दिलाने की कृपा करें जिससे प्रार्थी व प्रार्थी का परिवार बिजली का प्रयोग कर सकें।"*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 6043, दिनांकित 06/06/2026 से मंच को अवगत कराया है *"कि शिकायतकर्ता के अभिलेख अपूर्ण होने के कारण ही आवेदन स्वीकार नहीं किया होगा क्योंकि कार्यालय नगर निगम, देहरादून द्वारा पत्र संख्या 109/61/2023 दिनांक 25.02.2023 को नगर निगम क्षेत्रान्तगत मलिन बस्ती क्षेत्रों में शासकीय भूमियों पर होने वाले अतिक्रमण को रोकने हेतु आवेदक से सम्पति के स्वामित्व सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही विद्युत एवं पानी के संयोजन प्रदान किये जाने हेतु लिखा गया है, उक्त आदेशानुसार वादी द्वारा स्वामित्व सम्बन्धित दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही विभागीय नियमानुसार विद्युत संयोजन से सम्बन्धित कार्यवाही की जायेगी।"*

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि उनके द्वारा विपक्षी के कार्यालय में विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया गया था, परन्तु विपक्षी द्वारा स्वामित्व सबंधित दस्तावेज प्रस्तुत न किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को घरेलू सयोजन निर्गत नहीं किया गया जबकि जल सस्थान द्वारा उन्हें पानी का संयोजन उक्त परिसर पर निर्गत किया गया है।

यहा पर माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम **3.3.2(4)(a)(i)** के द्वितीय परन्तुक का उल्लेख समीचीन होगा– "Provided further that where the applicant is unable to submit the documents mentioned at a) to e) above and objection has been raised on the **premises** by District Magistrate/Government Authorities/ Government under whose jurisdiction **premises** falls, the Licensee **shall not grant new conncetion to such Applicant.**"

[Emphasis Added]

विपक्षी द्वारा माननीय आयोग के उपरोक्त विनियम के आलोक में संबंधित परिसर को लेकर सरकारी प्राधिकारियो द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति मंच के सम्मुख प्रस्तुत नहीं की गई है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों उपरान्त मंच का मत है कि विपक्षी विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 43(1) के अन्तर्गत परिवादी को विद्युत संयोजन निर्गत करें। बिजली पाना परिवादी का मौलिक अधिकार है। विपक्षी माननीय **UERC**

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

के **Supply Code 2020** के विनियम् **3.3.2(4)(a)(i)** के प्रथम परन्तुक के अनुसार परिवादी से आवेदन कराया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम् **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम् **3.3.2(4)(a)(i)** के प्रथम परन्तुक:– **"Provided that in case the Applicant is unable to submit any of the document listed at a)to c) above, then the Applicant shall be charged thrice the amount of security as per Table 3.6 of Clause (11) of Sub-regulation 3.3.3. The owner of the premises, if different from the applicant, shall not be liable for payment of any dues against such connection."** के तहत् विद्युत संयोजन जारी करे। विपक्षी आदेश की अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद वय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के** 30 दिन के **भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

15-6-2026
(सुन्दरी गैरोला देवली)
न्यायिक सदस्य

15/06/26
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

15/06/2
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य